न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/419/2018

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र शांति लाल जायसवाल जाति कलाल निवासी रावत मोहल्ला हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. जय प्रकाश पुत्र शांति लाल जायसवाल जाति कलाल निवासी पेच एरिया गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. ओमप्रकाश पुत्र शांति लाल जायसवाल जाति कलाल निवासी रावत मोहल्ला हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. अशोक कुमार पुत्र शांति लाल जायसवाल जाति कलाल निवासी रावत मोहल्ला हुरडा तहसील हुरडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 338/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.6.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री रामस्वरूप जोशी , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री एम एल सेन प्रत्यर्थी सख्या 1 व 2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 22.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के कब्जेकाश्त की आराजी राजस्व ग्राम हुरडा मगरा की खाता संख्या 192 की आराजी नम्बर 143 रकबा 5 बीघा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10 बिस्वा, आराजी नम्बर 1053 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, आराजीनम्बर 1054 रकबा 09 बिस्वा,आराजी नम्बर 1325 रकबा 01 बिस्वा गैर मुमकिन चाह व आराजी नम्बर 1885/1344 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा स्थित है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/4, 1/4, 1/4 हक हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की कब्जेकाश्त की आराजी ग्राम हुरडा सेजा पटवार हल्का हुरडा सेजा की खाता संख्या 319 की आराजी नम्बर 2975 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 2976 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 2979 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 3006 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा तथा नवीन आराजी नम्बर 4209 रबा 7 बीघा 07 बिस्वा स्थित है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4, 1/4, 1/4 हक हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन आराजियात को जोतने, बोतने, काटने, लगानजमा कराने तथा ऋणआदि लेने के लिए विवाद रहता है। इसलिए वादी अपने हिस्से का राजस्व रेकार्ड में अलग से अंकन करा अपने हिस्से की भूमि को विकसित करना चाहता है। यदि विभाजन नहीं किया गया तो पक्षकारान के मध्य विवाद बढेगा व प्रतिवादीगण संयुक्त आराजियात को बिना विभाजन कराये अजनबी व्यक्ति को बैचकर कब्जा सौंपने पर आमादा है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है। क्योंकि संयुक्त आराजियात में अजनबी केता विभाजन करवा कर ही प्रवेश कर सकता है अन्यथा प्रतिवादीगण अच्छी किस्म की जमीन किसी अजनबी व्यक्ति को बैच देगा तथा खराब जमीन वादी के रख देंगें जिससेवादी को असहनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन आर्थिक रूप से नहीं किया जा सकता है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा स्वयं, नौकर, चाकर, एजेण्ट के मार्फत नहीं करेंव करावे दौराने सुनवाई प्रतिवादीगण अपने नाजायज उद्धेश्य में सफल हो जावे तो वाद दायरी की स्थिति पुनः उनके खर्चे पर लाई जाने की आज्ञप्ति पारित की जावे। आराजी नम्बर 1325 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/4 समान हक हिस्सा है तथा यह गैर मुमकिन चाह है जिसका कानूनन विभाजन नहीं हो सकता है इसलिए इसका हक हिस्से अनुसार औसरा तय किया जावे। वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 1.10.2012 को सहमति के आधार पर बंटवाडा कराने के लिए मौखिक निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया । अतः वादी का वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिदीगण स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र की कलम नम्बर 1, 2 में वर्णित आराजियात का उनके हक हिस्सा अनुसार विभाजन कर पृथक से लगान फाटनी तय कर पृथक से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने की डिक्री पारित की जावे एवं वाद पत्र की कॉलम नम्बर 04 में वर्णित आराजियात जो कि गैर मुमकिन चाह है जिसका कानूनन विभाजन नहीं हो सकता है उसको वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके हक हिस्सा अनुसार औसरा तय किया जाने की डिक्री पारित की जाये तथा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पारित की जाये कि वाद पत्र में वर्णित संयुक्त आराजियात को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बिना विभाजन कराये किसी अन्य को रहन, बेचान, बक्षीस, दान भारित वसीयत, मुन्तकिनआदि नहीं करें करावे तथा वादी को शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहनेदेवें किसी प्रकार की दखलन्दाजी व अवरोध स्वयं, नौकरा, चाकर एजेण्ट आदि के मार्फत नहीं करें करावे तथा न ही उक्त आराजियात के बाबत किसी अन्य के हक में कोई दस्तावेज निष्पादित करें

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

व न ही पंजीयन करावें तथा दौराने सुनवाई वाद पत्र में प्रतिवादीगण अपने नाजायज उद्धेश्य में कामयाब हो जावें तो जरिये आज्ञापक निषेधाज्ञा के मार्फत वाद दायरी की स्थिति पुनः प्रतिवादीगण के खर्चे से लाई जाने की आज्ञप्ति पारित की जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 18.6.2018 को पारित की। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एवं जवाब दावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही मिला है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलाधीन निर्णय की आड में रेस्पोडेण्ट संख्या 4 के जरिये वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 2.11.2018 को आकर अपीलार्थी के कब्जेकाश्त की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी । तब अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। इस पर दिनांक 2.11.2018 को ही निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्रस्तुत कर आराजी राजस्व ग्राम हुरडा मगरा की खाता संख्या 192 की आराजी नम्बर 143 रकबा 5 बीधा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 1053 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, आराजीनम्बर 1054 रकबा 09 बिस्वा,आराजी नम्बर 1325 रकबा 01 बिस्वा गैर मुमकिन चाह व आराजी नम्बर 1885/1344 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा स्थित है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रत्येक का 1/4, 1/4, 1/4 हक हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की कब्जेकाश्त की आराजी ग्राम हुरडा सेजा पटवार हल्का हुरडा सेजा की खाता संख्या 319 की आराजी नम्बर 2975 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 2976 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 2979 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 3006 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा तथा नवीन आराजी नम्बर 4209 रबा 7 बीघा 07 बिस्वा स्थित है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4, 1/4, 1/4 हक हिस्सा निहित होने का कथन किया एवं उक्त आराजियात का विभाजन एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया ।

6. अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं अपीलार्थी/प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु दिनांक 9.7.2013 को अधिवक्ता नियुक्त किया । जिन्होनें अपीलार्थी को बताया कि राजस्व प्रकृति का वाद है और इसके निस्तारण मे समय लगेगा एवं आवश्यकता होने पर अपीलार्थी को बुला लिया जायेगा। इस पर विश्वास कर अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका तथा अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.5.2014 को अपीलार्थी की ओर से जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर प्रदान नहीं किया एवं अधिनस्थ न्यायालय ने आदेशिका में यह अंकित किया कि " वकील उभयपक्ष काउण्टर क्लेम का जवाब पेश किया शामिल पत्रावली रहे, नकल वादी को दिलाई गई, मिसल वास्ते तनकी दिनांक 21.7.2014 को पेश हो। " इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर अपीलार्थी की जवाब देही का अवसर बन्द कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को कैम्प न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.6.2018 को नियत किया जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं हुई। अपीलार्थी एक राजकीय कर्मचारी है और कैम्प न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कैम्प न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की उपस्थिति का विधि विरूद्ध कथन का अंकन कर अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। जबकि अपीलार्थी अगर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता तो अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर दर्ज करवाता । अधिनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तरीके से अपीलार्थी की उपस्थिति दर्ज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की समस्त कृषि आराजियात अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 की पुश्तैनी आराजियात है। जो स्व0 श्री शांति लाल जी जायसवाल के समय की है

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं स्व0 शाति लाल जी जायसवाल ने अपने जीवन काल में अपने हक अधिकार व आधिपत्य की रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजियात का दिनांक 28.4.1991 को अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 के मध्य मौतबिरान की मौजूदगी में पूर्ण होश हवाश से समस्त कृषि आराजियात का विभाजन कर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 का मौके पर कब्जा अलग अलग करा दिया तब से ही अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 अपने अपने हिस्से में आई जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा उक्त पारिवारिक समझौतानामा/बंटवाडानामा की रूह में उक्त कृषि आराजियात दिनांक 28.4.1991 को ही विभाजित की जा चुकी है एवं कब्जा मौके पर अलग–अलग करा दिया है, तो पूर्व में विभाजि कृषि आराजियात का वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को वाद पत्र लाने का कोई अधिकार नहीं है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा विधि विरूद्ध रूप से वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वर्तमान में वादपत्र में वर्णित कृषि आराजियात का विभाजन अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के मध्य दिनांक 28.4.1991 को विभाजन किया गया जिसमें अपीलार्थी के हिस्से में आई कृषि भूमि की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने दुर्भावनावश एवं अपीलार्थी को उसके हक अधिकार से वंचित करने की गरज से वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत किया । वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से पेश नहीं हुआ है तथा फिर भी अधिनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी भूल की है एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण को पुनः सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

10. प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया । जिसके जवाब में अपीलार्थी द्वारा कोई जवाब दावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया है। यदि उभयपक्षकारान के पिता के द्वारा सहमति से बंटवाडा किया गया था तो उसकी कियान्विती राजस्व रेकार्ड में की जानी चाहिये थी। अथवा प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा काउण्टर क्लेम में उजर उठाना चाहिये था। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2067 से 2070 में एवं जमाबंदी संवत 2065 से 2068 वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का समान रूप से 1/4 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड के अनुसार बंटवाडा किये जाने हेतु 1/4, 1/4 हक हिस्से अनुसार बंटवाडा किये जाने हेतु निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की है। जो विधिसम्मत है।

11. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रस्तत जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम की गई एवं उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, साक्ष्य के आधार पर तनकीवाईज गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी का कथन है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया गया है अपीलार्थी/प्रतिवादी का कथन है कि उभयपक्ष के पिता के द्वारा चारों पुत्रों के मध्य अपने जीवनकाल में ही विभाजन कर दिया था उसी अनुसार सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। भूमि की कीमतों के बढ जाने से प्रत्यर्थीगण के मन में लालच पैदा हो गया है।

13. हमनें अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण दिनांक 1.11.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । दिनांक 9.7.2013 को प्रतिवादी संख्या 1व 2 की ओर से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया । प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब दावे में प्रकरण लंबित था। दिनांक 26.5.2014 को काउण्टर क्लेम का जवाब जेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उसके उपरान्त प्रकरण वास्ते तनकियात कायमी में नियत कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.7.2014 नियत की गई। उसके उपरान्त दिनांक 27.9.2016 को तनकियात कायम की गई। दिनांक 7.12.2017 को उभयपक्ष ने प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में निस्तारित किये जाने का निवेदन किया । उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर तारीख पेशी दिनांक 3.4.2017 को प्रकरण में वादी के गवाह पी डब्ल्यू 1 जयप्रकाश के बयान कराये गये । प्रतिवादी के वकील उपस्थित नहीं हुए इस कारण गवाह से जिरह नहीं हो सकी उसके उपरान्त प्रकरण साक्ष्य में लंबित रहीं । दिनांक 13.3.2018 को साक्ष्य वादी से जिरह करने हेतु प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट, हुरडा में पत्रावली पेश होने पर वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की उपस्थिति सुनिश्चित होने पर वकील वादी की इस्तदुआ पर उभयपक्ष को सुना । सर्वप्रथम लंबित प्रार्थना पत्र पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत वादी से जिरह करने का खारिज किया है।

14. दिनांक 19.6.2018 को कैम्प कोर्ट हुरडा पर उभयपक्ष की पर भी अंतिम बहस सुनी जाकर उपलब्ध साक्ष्य दस्तोवजात का अवलोकन कर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री जारी की गई। जिसमें राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की गई है।

15. हमनें अपील मेमों का अवलोकन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न साक्ष्य सबूतों, दस्तावेजों का अवलोकन किया । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की तरफ से धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस क्रम में अपीलाण्ट/प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जवाब मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था तथा वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा जवाब काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया था। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों को समाहित करते हुए 7 तनकियॉ कायम की तथा तनकीवार निर्णय पारित किया है। उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत बंटवाडा दिनांक 28.4.1991 की अप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है तथा अनरजिस्टर्ड हक त्याक पत्र दिनांक 19.2.2007 की भी अप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है, साथ ही राजेन्द्र कुमार (अपीलाण्ट)व जयप्रकाश नारायण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के मध्य हुए पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 19.2.2007 की भी अप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही अपीलाण्ट राजेन्द्र कुमार के रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 ओम प्रकाश व अशोक कुमार के साथ हुए पारिवारिक समझौते दिनांक 19.2.2007 के नोटराईज्ड पत्र की अप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की गई है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 7 का निर्णय करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि वादग्रस्त आराजियात

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है। उक्त आराजियात के पक्षकारान के वली श्री शांति लाल जायसवाल के द्वारा अपने पुत्रों के मध्य पारिवारिक समझौते के तहत भूमि का विभाजन किया गया किन्तु उक्त विभाजन का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं कराया गया है। राजस्व रिकार्ड में भूमि अभी भी संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का अभिमत है कि खातेदारान को चाहिये था कि उनके पिता के द्वारा किये गये बंटवाडे के आधार पर तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में स्वेच्छिक अंकन करवा लेते किन्तु खातेदारों के द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः दावा डिक्री किया जाकर मौजा हुरडा मगरा की आराजी नम्बर 1043, 1053, 1054, 132, 1885/1344, किता 5 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि तथा मौजा हुरडा सेजा की आराजी नम्बर 2975, 2976, 2979, 3006, 4209 किता 5 रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा भूमि के खातेदार काश्तकारों के मध्य उनके हक हिस्से अनुसार भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये हैं। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारान के कब्जे को भी ध्यान में रखे जाने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री मूर्तिब की है। हमनें अपीलाधीन निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन किया । अपीलाण्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाकर विस्तृत आदेश पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं पाते हैं।

16. यदि उभयपक्षकारान के पिता के जीवनकाल मे सहमति से कोई बंटवाडा हुआ है तो उसका राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं कराया गया है। उक्त सहमति से कराया गया बंटवाडा रजिस्टर्ड नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन का वाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है । उभयपक्ष ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से को अस्वीकार नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

17. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 18.6.2018 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

18. निर्णय आज दिनांक 22.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

22/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★ सत्यमेव जयते

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/419/2018

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र शांति लाल जायसवाल जाति कलाल निवासी रावत मोहल्ला हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. जय प्रकाश पुत्र शांति लाल जायसवाल जाति कलाल निवासी पेच एरिया गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. ओमप्रकाश पुत्र शांति लाल जायसवाल जाति कलाल निवासी रावत मोहल्ला हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. अशोक कुमार पुत्र शांति लाल जायसवाल जाति कलाल निवासी रावत मोहल्ला हुरडा तहसील हुरडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 338/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.6.2018

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/419/2018** मे **उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 22.8.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री रामस्वरूप जोशी प्रत्थर्थी संख्या 1 से 2 के की ओर से श्री एम एल सेन वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 22.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 18.6.2018 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 22.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

22/8/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा